

Registration no. (21712242021826123122) Date: (19-08-2023) Valid till: (19-8-2026)

जिज्ञा शिक्षा प्रदायिकाएकी अकादमी / GOPALGANJ  
शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, पटना  
प्रमाण पत्र



सेवा में

अध्यक्ष / व्यवस्थापक / अध्यक्ष  
SHREE BHARTI ACADEMY  
EKDERWA, GOPALGANJ

विषय :- बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम (Right to Education -RTE), 2009 की धारा 18 के प्रावधानों के अन्तर्गत शिक्षा निचयनावली के नियम 11 के अन्तर्गत के अनिवार्य विद्यालय की पर्यवेक्षण का प्रमाण पत्र।

सहायक,

आपके आवेदन पर दिनांक, 20-08-2021 और उसके क्रम में आपके किये गये परीक्षा एवं विद्यालय के किये गए विवरण एवं जिला स्तरीय शिक्षणकारी समिति के बैठक दिनांक : 19-08-2023 में किये गए निर्णय के आशोक में आपके विद्यालय SHREE BHARTI ACADEMY, EKDERWA, GOPALGANJ, EKDERWA, GOPALGANJ, 841428 को कक्षा 1 में 8 तक परीक्षा हेतु तीन वर्षों 19-08-2023 से 19-8-2026 अर्थात् के लिए औपचारिक पर्यवेक्षण प्रदान की जाती है।

पराल पर्यवेक्षण नियम शांती के अनुपालन के अधीन होगी।

1. पर्यवेक्षण किन्हीं भी परिस्थितियों में कक्षा 8 तक की सीमा के बाहर मान्य नहीं होगी।
2. विद्यालय बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 तथा बिहार राज्य मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा निचयनावली 2011 का अनुपालन आवश्यक रूप से सुनिश्चित करने।
3. विद्यालय अपनी कक्षा 1 में बच्चों के नामांकन की कुल संख्या का 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन अपने परीक्षा के समतोल वर्ग एवं असाक्षर/बिना नामों के बच्चों का करना तथा उन्हें मुफ्त एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उनकी पूर्णतः तक प्रदान करना, परन्तु यह कि यदि विद्यालय में पूर्ण प्राथमिक कक्षाओं का संघालन हो रहा है, तो इस आशोक का अनुपालन पूर्ण प्राथमिक कक्षा के लिए भी किया जाएगा।
4. कक्षा 3 में उपरत बच्चों के नामांकन में विद्यालय को बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की धारा 12 की उपधारा 2 के आशोक में निर्धारित राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी। प्रतिपूर्ति की अनिवार्य राशि की प्रतिशत के लिए विद्यालय अग्रिम से बैंक खाता का संघालन करेगा।
5. सीमांतरी / विद्यालय के द्वारा किन्हीं प्रकार का केविदेवशन नहीं मही प्राप्त किया जाएगा तथा किन्हीं भी बच्चा उसके आला-पिता या अभिभावक का स्वीमिंग टेस्ट मही किया जाएगा।
6. विद्यालय किन्हीं बच्चों के नामांकन से उसके 33 प्रमाण पत्र के अनुपालन नामांकन की विवरण अर्थात् के बाद तथा धर्म, जाति, जन्म स्थान अदि कारणां या इतर में से किन्हीं एक कारण के आधार पर इका मही कर सकेगा।
7. विद्यालय के द्वारा निम्न कार्य सुनिश्चित किए जाएंगे :-
  - (i) किन्हीं भी नामांकित बच्चों को किन्हीं भी कक्षा में रोककर नहीं रखा जाएगा और न ही किन्हीं नामांकित बच्चा को प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय से निकालित किया जाएगा।
  - (ii) किन्हीं भी बच्चों को किन्हीं प्रकार का शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा तथा सामाजिक रूप से पराशित नहीं किया जाएगा।
  - (iii) किन्हीं भी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के लिए किन्हीं भी प्रकार के कोई परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी।
  - (iv) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाला बच्चा को नियम 22 के आशोक में प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।
  - (v) अधिनियम के प्रावधानों के आशोक में विद्यालय बच्चों का नामांकन किया जाएगा।
  - (vi) शिक्षकों का नियोजन अधिनियम की धारा 23 की उपधारा 1 में उनके लिए निर्धारित मूल्यांकन आधारों के अनुसार किया जाएगा।
  - (vii) शिक्षक अधिनियम की धारा 24 की उपधारा 1 में प्रावधानित शिक्षकों के दायित्व का निर्धारण करेगी।
  - (viii) शिक्षक किन्हीं स्तर पर किन्हीं भी प्रकार की शिक्षण मतिविधि में संलग्न नहीं होगी।

*Managers*  
SHREE BHARTI ACADEMY  
Ekderwa, Gopalganj

*Principal*  
Shree Bharti Academy  
Ekderwa, Gopalganj

